न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 106/2016

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

सुरेश कुमार पुत्र सम्पतलाल जाति भट्ड माहेश्वरी निवासी मूण्डवा तहसील मूण्डवा, जिला नागौर हाल निवासी जी 329 सतगुरू अपार्टमेंट ईश्वर कृपा सोसायटी टीकम नगर–2 सूरत (गुजरात)

1 वरजीदेवी पत्नी श्रीवल्लभ 2 जयप्रकाश पुत्र श्रीवल्लभ 3 सुशील पुत्र श्रीवल्लभ 4 मन्जु पुत्री श्रीवल्लभ 5 लीला पुत्री श्रीवल्लभ 6 पदमा पुत्री श्रीवल्लभ 7 श्री कांता पुत्री श्रीवल्लभ 8 शांति पत्नी श्री द्वारकादास 9 दामोदर पुत्र द्वारकादास 10 ओमप्रकाश पुत्र द्वारकादास मुण्डवा हाल निवासी ई–502 आशीवाद ऐवेन्यू श्याम बाबा मंदिर के सामने वीआईपी रोड अल्थान सूरत

11 इन्द्रा पुत्री श्री द्वारकादास 12 संतोष पुत्री श्री द्वारकादास 13 सुशीला पुत्री श्री द्वारकादास 14 जसोदा पत्नी श्री सम्पतलाल 15 वेणीगोपाल पुत्र श्री सम्पतलाल 16 सुलोचना पुत्री श्री सम्पतलाल 17 रामअवतार पुत्र श्री गंगानारायण 18 सोनी पत्नी श्री गंगानारायण 19 तहसीलदार मुण्डवा, तहसील मुण्डवा, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सांवर राम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08, 10 व 14 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 19 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील मुण्डवा के मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3071 निर्णय दिनांक 17.12.15 से असंतुष्ट होकर दिनांक 31.05.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.06.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 08, 10 व 14 की ओर से श्री सांवर राम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 19 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07, 09, 11 से 13 तथा 15 से 18 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण संख्या 3071 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु) नागौर के प्रकरण संख्या 123/15 के फर्द अहकाम दिनांक 18.06.15 से 26.04.16 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, हक तर्कनामा दिनांक 24.04.2002 की फोटोप्रति, समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 14.06.25 की प्रति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि उक्त आदेश की प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। हाल ही में राजस्व मामले हो जाने के कारण से प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी की तो प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 20.05.2016 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। उसी दिन प्रार्थी ने प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 23.05.16 को प्रार्थी को मिली, तत्पश्चात प्रार्थी ने अन्य वांछित दस्तावेजात इकट्टे करके उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की, जिससे जानकारी की तारीख से अन्दर मयाद होने से अपील को अन्दर मयाद सुमार किया जावे। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

28/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– नामान्तरकरण भरे जाने से पूर्व मौके पर कब्जे को लेकर कोई जांच नहीं की गई थी। अगर ऐसी जांच की जाती तो यह तथ्य सामने आता कि वादग्रस्त भूमि पर तो एक मात्र द्वारकादास व सम्पतलाल के विधिक उतराधिकारीगणों का कब्जा है। इस स्थिति पर किंचित मात्र भी गौर नहीं किया गया है। इस आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– उक्त प्रकरण में जो नामान्तरकरण भरा गया है। उस समय श्रीवल्लभ जीवित नहीं था। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के पक्ष में किसी प्रकार से कोई हित, सृर्जित नहीं किये जा सकते। इस आधार पर भरा गया उक्त नामान्तरकरण प्रथमतया शून्य, अवैध एवं बेअसर होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण भरे जाने से पूर्व इस संबंध में बने नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। जबकि ऐसे नियम आज्ञापक प्रकृति है। इनकी पालना किये बिना किसी प्रकार से कोई नामान्तरकरण नहीं भरा जा सकता है। इस आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– उक्त प्रकरण में राजस्व न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 18.06.15 को जारी हो रखा था। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायालय की अवमानना की परिधि आता है। इस आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील मूण्डवा के मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3071 निर्णय दिनांक 17.12.15 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रकरण में पंजीकृत हक तर्कनामा के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। उक्त नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर